...ालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

...ठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/30

दायरा तिथि : 04.02.2022

आदेश तिथि : 28-6-2022

प्रार्थीगण :–

1. धनाराम पुत्र वीराराम
2. भेराराम पुत्र वीराराम जातिगण राईका निवासीगण करनवा तहसील बाली

ब नां म

अप्रार्थीगण :–

1. तुलसाराम पुत्र पूना
2. मोहनीबाई पत्नी पूना जातिगण माली निवासीगण करनवा तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश　　　　　　　　　　　　दिनांक : 28-6-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सेवाडी पटवार हल्का, सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी तुलसाराम पुत्र पूना जाति माली निवासी करनवा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का, सेवाडी के खसरा नंबर 2164 रकबा 1.0700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1587 दिनांक 30.05.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम सेवाडी पटवार हल्का, सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि प्रार्थी धनाराम पुत्र वीराराम व भेराराम पुत्र वीराराम जातिगण राईका निवासीगण करनवा तहसील बाली के नाम से दर्ज है। खातेदार की सहधारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। वर्तमान में खातेदार आवागमन हेतु पडौसी खातेदारों के खेत की माठ के सहारे से ही आवागमन करता है।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूनि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2164	1.0700	बा. अ.	108X4=432 वर्गमीटर	1. तुलसाराम पुत्र पूना जाति राईका निवासी करनवा 2. भेराराम पुत्र वीराराम जाति राईका निवासी करनवा

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम सेवाडी की डी.एल.सी. दर 240030/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।
4. प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाले भू–भाग पर 108 मीटर लंबाई व 5 मीटर उंचाई की तारबंदी की हुई है। अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शिवलाल परिहार ने आपत्ति पेश की। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री बेराराम ने शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थीगण द्वारा की गई तारबंदी व छीणों को पुनः स्वयं के खर्चे से उक्त तारबंदी व छीणें लगाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला–पाली (राज.)

पेज लगातार...

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/30
अनवान धनाराम वगैरा बनाम तुलसाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सेवाडी पटवार हल्का, सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/1587 दिनांक 30.05.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। धारा 251(ए) के तहत निकटतम रूट से रास्ता दिये जाने के प्रावधान हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सेवाडी पटवार हल्का, सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2163 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु अप्रार्थी तुलसाराम पुत्र पूना जाति माली निवासी करनवा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का, सेवाडी के खसरा नंबर 2164 रकबा 1.0700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे 108X4=432 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 240030/- रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
सेवाडी	2164	1.0700	बा.अ.	108X4=432 वर्गमीटर	24.003 रूपये प्रति व.मी	20738.59

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि 20738.59 पुर्णाक 20739/- (अक्षरे बीस हजार सात सौ उनचालीस रूपये मात्र) आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी।

तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी-बाली (राज.)
बाली, जिला-पाली (राज.)
दिनांक 28-06-2022

क्रमांक/कोर्ट/2022/2185-89
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, सेवाडी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक धनाराम पुत्र वीराराम, भेराराम पुत्र वीराराम जातिगण राईका निवासीगण करनवा को सूचनार्थ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner